नगरपालिका महम, रोहतक

सार्वजनिक सूचना

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा सरकार द्वारा नगरपालिका महम क्षेत्र के आबादी देह तथा लाल डोरा के अन्तर्गत आने वाली संपत्तियों के अधीभोगिया को संपति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने है।

नगरपालिका महम क्षेत्र में आने वाली सभी संपति आई0डी0 जो कि लाल डोरा आबादी देह में स्थित है कि सूची संपूर्ण विवरण सहित नगरपालिका महम की वेबसाइट https://ulbharyana.gov.in/Meham/810 पर प्रकाशित कर दी गई है, आप इस सूची का अवलोकन करके यदि संपति यदि आई0डी0 में दर्ज विवरण जैसे स्वामी के नाम संपति के क्षेत्रफल संपति में दर्ज मोबाईल नंबर संपति की श्रेणी आदि विवरण को लेकर 30 दिन के अंदर–अंदर प्रातः 09:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक नगरपालिका कार्यालय के कमरा न0 11 में दावे/आपत्तियां लिखित में दर्ज करा सकते है।

संपति के स्वामित्व को सिद्ध करने हेतु शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पंचकुला द्वारा जारी पत्र कमांक DULB.DMC-HQ/2024/142 Dated 12.03.2024 में दिए गए निर्देशानुसार आपको निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:–

- **राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित दावेदार का शपथ पत्र, जिसमें आबादी देह/लाल डोरा में स्वामित्व/कब्जा का स्पष्ट उल्लेख हो:–**
  1. पिछले 10 वर्षो का बिजली बिल।
  2. पिछले 10 वर्षो का पानी का बिल।
  3. कोई भी सरकार द्वारा जारी किया गया दस्तावेज जैसे इपीआईसी, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि, जिसमें पता शामिल हो।
- **अधिकार के पिछले 10 वर्षो का पता लगाने के लिए आवश्यक दस्तावेज:–**
  1. पिछले 10 वर्षो के अधिकार का पता लगाने के लिए सम्पतिकर रसीदे।
  2. पिछले 10 वर्षो के अधिकार का पता लगाने के लिए निर्मित संरचना का प्रमाण।
- **दावाकर्ता द्वारा प्रदान किए जाने वाले दस्तावेजों की वांछनीय सूची निम्नलिखित है:–**
  1. बिक्री विलेख/हस्तांतरण विलेख।
  2. हस्तांतरण विलेख/त्याग विलेख/ मुक्ति विलेख/जमाबंदी/फरद।
  3. राजस्व अधिकारी के साथ पंजीकृत अदालत का आदेश।
  4. रजिस्ट्री/बिक्री विलेख।

नोट:– मूल मालिक की मृत्यु के मामले में उपयुक्त उल्लेखित दस्तावेजों के साथ–साथ सक्षम राजस्व प्राधिकरण/सिविल अदालत से जारी कानूनी/सिविल अदालत से जारी कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जरूरी है।

सचिव
नगरपालिका महम।